

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।
संख्या: ६५१० / छवीस-१८ (2019-20) गोपेश्वर: दिनांक: २५ जून, 2020

अधिकारी अभियन्ता,

विशेष मैंक खण्ड, लो०निर०पि०,
कर्णप्रद्याण।

विषय: जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु सिविल भूमि
लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक संचित(प्रभारी), राजरत्न अनुभाग-२, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
के शासनादेश सं०-२३८/XVIII(II)/२०२०-१८(१७)/२०२० दिनांक २८ फरवरी २०२० के अनुरार
जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम बनेला प०व० ० अरोड
सिगली की सीमान्तर्गत खा०ख०सं०-१० के खसरा सं०-१३४६ रकमा ०.४०१ है० भूमि मध्ये ०.१०० है० भूमि,
जो कि राज्य सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-१०(१) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढ़कोट
की सीमान्तर्गत खा०ख०सं०-०५ के खसरा सं०-५५५ रकमा ०.२८४ है० भूमि मध्ये ०.११९ है० भूमि, जो कि
नॉनजेडए श्रेणी-१०(३)ग गौचर रसाई पशुधर एवं चराई की भूमियाँ के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वित्त
विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०-२६०/वि०अनु०-३/२००२, दिनांक १५ फरवरी, २००२,
शासनादेश सं०-१११/XVIII(II)(७)५०(३९) / २०१५/२०१४ दिनांक ०९ जुलाई, २०१५ एवं शासनादेश
सं०-१८८७/XVIII(II)/२०१५-१८(१६९) / २०१५ दिनांक ३० जुलाई, २०१५ में निहित व्यवस्थानुसार
लोक निर्माण विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित
शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है:-

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक शहत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना
हो और उसके लिए शासन दो समिति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तापित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो
उसके लिये भूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो तो उसे भूल विभाग में रकम ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु
किसी अन्य व्यवित्त, संरक्षण समिति अथवा विभाग आदि को गूल विभाग की सहायता के बिना भूमि
हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उससे पूर्ति के समान्तरा यदि भूमि अवशेष
पड़ी रहती है, तो भूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान आधाराभाव लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का
परिवर्तन गंभीर वानिली कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उपर अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय प्राधिकारी से
अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

8. यदि भूमि/भवन का परिवर्तन कर दिया गया हो अथवा संरक्षा का टिकटन हो जाता है
तो भूमि/भवन रील सहित राज्य सरकार गें सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

9. प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व १०५० जारीतरी विनाश एवं गू-व्यवस्था ३ घेनियम १९५० की
धारा-१३२ एवं अन्य सुरक्षात् प्राविधानों का अनुपालन उपर विभागीय अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया

क्रमांक: -2 -

NAresh CHAMOLI
Environment Expert
FMU PWD (U-PREPARE)
Dehradun

CamScanner

10. इस सम्बन्ध में, रिहिल अपील रांख्या-1132/2011(एरा०एल०पी०)/सी) नंख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य वनाग पंजाम राज्य एवं अन्य में मा० रार्वच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों विन्दु संख्या-01 से 10 में रो किरी भी का उल्लंघन होने की रिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

अतः शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों के कम में आप उप जिलाधिकारी, थराली से समन्वय रथापित करते हुए प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार लोक निर्माण विभाग के नाम अगलदरामद/हरतान्तरण करवाते हुए आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का काष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि।

(स्वाति एस०भद्रीरिया)
जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रतिलिपि— निम्नांकित यो सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग—2, देहरादून।
- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

6. उप जिलाधिकारी थराली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न शासनादेश के प्रस्तर-01 से 11 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार लोक निर्माण विभाग के नाम राजस्व अभिलेखों में अगलदरामद/हरतान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालन से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक—उत्तरानुसार।

जिलाधिकारी,
चमोली।

9C

NARESH CHAMOLI
Environment Expert
FPIU PWD (U-PREPARE)
Dehradun

AKHILESH

GS CamScanner

EV 51143429 LN

(13)

संख्या-258/XVIII(II)/2020-18(17)/2020

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग-2

विषय:- जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3443/छब्बीस-18 (2019-2020), दिनांक 05 फरवरी 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम बनेला, प००३० असेड़ सिमली की सीमान्तर्गत खा०ख००सं०-१० के खसरा सं०-१३४६ रक्वा ०.४०१ है० भूमि मध्ये ०.१००है० भूमि, जो कि राज्य सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-१०(१) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढ़लकोट, की सीमान्तर्गत खा०ख००सं०-०५ के खसरा सं०-५५५ रक्वा ०.२८४ है० भूमि मध्ये ०.११९ है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-९(३)ग गौचर स्थाई पशुचर एवं चराई की भूमियों के रूप में दर्ज अभिलेख है, को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निवेश हुआ है कि जनपद चमोली में पैठाणी से गढ़कोट पैदल मार्ग झूला पुल के निर्माण हेतु ग्राम बनेला, प००३० असेड़ सिमली की सीमान्तर्गत खा०ख००सं०-१० के खसरा सं०-१३४६ रक्वा ०.४०१ है० भूमि मध्ये ०.१००है० भूमि, जो कि राज्य सरकार की नॉनजेडए श्रेणी-१०(१) जलमग्न के रूप में दर्ज अभिलेख है एवं ग्राम गढ़लकोट, की सीमान्तर्गत खा०ख००सं०-०५ के खसरा सं०-५५५ रक्वा ०.२८४ है० भूमि मध्ये ०.११९ है० भूमि, जो कि नॉनजेडए श्रेणी-९(३)ग गौचर स्थाई पशुचर एवं चराई की भूमियों के रूप में दर्ज अभिलेख है, को वित्त अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या-२६०/वित्त/अनुभाग-३/२००२, दिनांक-१५-०२-२००२, शासनादेश संख्या-१११/xxvii(7)५०(३९)/२०१५/२०१४, दिनांक-०९-०७-१०१५ तथा शासनादेश संख्या-१८८७/XVIII(II)/२०१५-१८(१६९)/२०१५, दिनांक ३० जुलाई, २०१५ में निहित प्राविधानानुसार लोक निर्माण विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- (2) जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- (3) हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से गिन प्रयोजन के लिए उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (4) यदि भूमि की आवश्यकता न हो या ३ वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में रखते ही निहित हो जायेगी।

...2

NFC

9C

कल्पना

NARESH CHAMOLI
Environment Expert
FPIU PWD (U-PREPARE)
Dehradun

- (5) जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे गिन किरी अन्य प्रयोजन हेतु किरी अन्य व्यवित, संरक्षा, समिति अथवा विभाग आदि को गूल विभाग की सहगति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- (6) जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो गूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- (7) प्रश्नगत भूमि और वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी काये हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
- (8) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संरक्षा का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में रामी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- (9) प्रश्नगत भूमि आवंटन के पूर्व ७०प्र० जर्मीदारी विनाश एवं भू-व्यवरथा अधिनियम, 1950 की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०)/(सी) संख्या-3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों विन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
- कृपया, इस संबंध में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए शासनादेश के पुरिप्रेष्य में जिला-स्तर-से-निर्गत-किये जाने वाले आदेश की प्रति, शासन को भी उपलब्ध कराने का करें।

भवतीय,
महराजा
(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- /XVIII(II)/2020, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 5- निवेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

NARESH CHAMOLI
Environment Expert
FPIU PWD (U-PREPARE)
Dehradun

SC/ J.E